342

कार्यालय, नगर परिषद, रक्सौल

पत्रांक 77 / दिनांक 23-3-12 /

प्रेषक:– कार्यपालक पदधिकारी
नगर परिषद, रक्सौल।

सेवा में,

महालेखाकार (स्थानीय लेखा परीक्षा)
बीरचन्द पटेल पथ,
पटना, बिहार।

विषय : अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 213/2008-09 एवं 618/2009–10 का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करते हुए कहना है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 213/08–09 एवं अंकेक्षण संख्या 618/2009–10 का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर इस पत्र के साथ संलग्न कर आवलोकनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करें।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, रक्सौल
23/3/12

1341

नगर परिषद, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण

AR No. - 618/2009-10 का अनुपालन प्रतिवेदन

क्र0 सं0	कंडिका सं0	कंडिका का विवरण	अनुपालन	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1	1	प्रस्तावना	अनुपालन की आवश्यकता नहीं	
2	2	प्रशासन	अनुपालन की आवश्यकता नहीं	
3	3	लेखा परीक्षा का परिक्षेत्र	भविष्य में ध्यान दिया जायेगा।	
4	4	पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	अनुपाल तैयार कर भेजा जा रहा है।	
5	5	प्रमुख उपलब्धियाँ	आगे की कंडिकाओं में इसका अनुपालन किया जा रहा है।	
6	6	आन्तरिक लेखा परीक्षा	भविष्य में ध्यान दिया जायेगा। सूचनात्मक तथा अंतर का समाधान विवरण तैयार किया जा रहा है।	
7	7	अधिदृश्य	(i) भविष्य में इस पर ध्यान दिया जायेगा। (ii) रोकड़ बही में इन्द्रराज कर दिया गया है। (iii) & (iv) सूचनात्मक तथा भविष्य में ध्यान दिया जायेगा एवं बैंक द्वारा रू0 300.00 जोड़ दिया गया है।	
8	8	बजट	कर्मचारी की कमी के कारण बजट तैयार नहीं किया गया था तथा वर्ष 2012–13 से बजट बनाया जा रहा है।	
9	9	राज्यानुदान	द्वादश वित्त आयोग की राशि रू0 6,78,477.00 भारतीय स्टेट बैंक में SJSRY के खाता सं0 01000050075 में जमा था, लेकिन बैंक द्वारा खाता पर नहीं दिखाया गया था, जिसे अब बैंक द्वारा खाता पर दिखा दिया गया है।	
10	10	सरकारी ऋण	नगर परिषद की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं थी, इस कारण राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण से 25% राशि की राशि किस्त में जमा ले लिया जाता था। नगर परिषद् की आर्थिक स्थिति सुबृढ़ होने पर राशि जमा कर दी जायेगी।	
11	11	संग्रहण खाता	(क) (ख) सीधा विनयोग को नियमित करने का प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। (ग) श्री बैठा द्वारा रू0 1,76,636.00 तथा श्री मधुरेन्द्र वर्मा द्वारा रू0 10,749.00 की राशि जमा कर दी गई है। छाया प्रति संलग्न है। (घ) भविष्य में ध्यान दिया जायेगा।	

12	12 (क)	कर का पुनरिक्षण	कर पुनरिक्षण कार्य लगभग पूर्ण है।	
	12 (ख) & (ड़)	होल्डिंग की वसूली	कर वसूली बढ़ाने हेतु आवश्यक कारवाई किया गया है तथा प्रयास जारी है।	
	12 (ग) & (घ)	स्वास्थ्य उपकर तथा शिक्षा उपकर	नगर परिषद द्वारा राशि रू0 236775.00 चालान सं0 159 एवं 160 दिनांक 14/08/2009 तथा चालान सं0 147 एवं 148 दिनांक 28/06/2010 को जमा किया गया है। छाया प्रति संलग्न।	
	12 (च)	मोबाईल टावर	माननीय उच्च न्यायालय में केस रहने के कारण मोबाईल टावर से वसूली नहीं किया जा रहा है।	
13	13	सैरातों की बन्दोबस्ती	(i) टैम्पु स्टैन्ड की वसूली रेलवे पुलिस द्वारा बंद करा दिया गया था। इस कारण रू0 11,175.00 जमा नहीं किया गया। संवेदक द्वारा दिये गये चिटठी की छाया प्रति संलग्न। (iii) रसीद सं0 15014 दिनांक 24/09/2008 जमा शेष राशि वसूली के लिए कारवाई की जा रही है। (iii) सुझाव पर ध्यान दिया जा रहा है।	
14	14	नाला निर्माण	नाला निर्माण की सभी योजना पूर्ण हो चुकी है तथा सलि विवाद इत्यादि के कारण कार्य विलंब से पूर्ण हुआ था, इसके लिए समयावृद्धि का आवेदन प्राप्त तथा संबंधित अभियंता द्वारा उसे अनुमोदित किया गया था।	
15	15	द्वादश वित्त आयोग	सभी योजना पूर्ण हो चुकी है। संवेदक द्वारा समयावृद्धि का अवेदन दिया गया था तथा अभियंता द्वारा उसे कारण को उचित मानते हुए अनुमोदित किया गया था।	
16	16	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान	नगर भवन के लिए रक्सौल नगर परिषद के लिए जमीन नहीं थी। इसलिए बोर्ड द्वारा अलग योजना ली गई थी। इसकी सूचना जिला योजना समिति को दे दिया गया है तथा विलंब के लिए समयावृद्धि आवेदन संवेदक द्वारा दिया गया था। अभियंता द्वारा अनुमोदित थी।	
17	17	चापाकल गाड़ने की योजना	चूँकि चापाकल सरकारी जमीन पर गाड़ना था। लेकिन अगल–बगल के लोगों द्वारा यह जमीन अतिक्रमित किया गया था। इस संबंध में संवेदक द्वारा समयावृद्धि का आवेदन दिया गया था तथा इस कथन को संबंधित वार्ड पार्षद द्वारा अनुशंसित किया गया था तथा इसका अनुमोदन अभियंता द्वारा किया गया था। इस कारण क्षतिपूर्ति शूल्क नहीं काटा गया था।	
18	18	ट्रक्टर की आपूर्ति नहीं होने से नगर परिषद को (2.12 लाख) हानि	संबंधित मेसर्स द्वारा ट्रैक्टर आपूर्ति दिनांक 30/03/2010 को कर दिया गया था। अतः रू0 2.12 लाख की हानि नहीं हुई।	

1339

19	19	अनियमित भुगतान (सोलर लाईट)	निदेशक, ब्रेडा का पत्र कार्यालय को उपलब्ध नहीं था तथा न्यूनतम दर पर रिशु इन्टरप्राईजेज, सहरसा को दिया गया था जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित थी। वैट कटौती के लिए संबंधित फॉर्म द्वारा प्रपत्र C-1 दिया गया था। अतः वैट की कटौती नहीं की गइै थी, तथा अंकेक्षण दल द्वारा संभावित दर दिया गया है, जबकि ब्रेडा द्वारा वर्ष 2006 की चिटठी नहीं दिया गया था। अतः इसमें अधिक भुगतान नहीं हुआ था।	
20	20	निरस्त	अनुपालन की आवश्यकता नहीं	
21	21 (क)	पंचम केन्द्रीय वेतनमान का भुगतान	पंचम वेतनमान की पत्र कार्यालय के पत्रांक 137 दिनांक 04 / 04 / 2008 द्वारा भेजा गया है तथा नगरपालिका अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार बोर्ड हीं नगर परिषद के सभी कार्यों (वेतन) के उत्तरदायी है। अतः पंचम वेतनमान बोर्ड द्वारा अनुमोदित था।	
	21 (ख)	हिन्दी टिप्पण परीक्षा	हिन्दी टिप्पण परीक्षा राज्य सरकार द्वारा काफी वर्षो से नहीं निकाला गया था तथा राज्य सरकार के अनुसार हिन्दी टिप्पण परीक्षा के संबंध में कोई दिशा–निर्देश नहीं प्राप्त था। अतः वेतन वृद्दि नियमानुकूल दिया गया था।	
	21 (ग) & (घ)	परिषद् प्रदत्त महंगाई भता	अंकेक्षण टिप्पणी के बाद परीक्षण प्रदत्त महंगाई भता बंद कर दिया गया है। भविष्य निधि की राशि जमा कर दिया गया है।	
	21 (ड़)	भविष्य निधि की कटौती	संबंधित कर्मचारी का सेवा की सम्पुष्टी नहीं की गई थी। इस कारण भविष्य निधि की कटौती नहीं की गई थी। अब इनकी सेवा की सम्पुष्टि स्थायी समिति से कर दी गई है तथा भविष्य निधि की कटौती की जा रही है।	
22	22	चुनाव हेतु प्राप्त राशि का प्रत्यक्ष विनियोजन (रू0 72,200.00)	यह पूर्व के रोकडपाल द्वारा किया गया है तथा इन पर गबन का केस दर्ज है, इसमें यह राशि भी दर्ज कर दिया जायेगा। (ii) मानदेय की राशि रू0 1,335.00 का भुगतान कर दिया गया है।	
23	23	पोस्ट ऑफिस रोड स्थित पक्की दुकान का बकाया किराया	संबंधित टैक्स दारोगा को इस संबंध में पत्र निर्गत किया गया है।	
24	24	दैनिक मजदूरी पर भुगतान	नगर परिषद की जनसंख्या दिनो–दिन बढ़ रही है तथा पहले वार्डो की सं0 16 थी अब वार्डो की सं0 25 है। इस कारण दैनिक मजदूरी पर रखे बिना सफाई कार्य सम्भव नहीं है। इसलिए दैनिक मजदूरी पर रखा गया है।	

25	25	अग्रिम	श्री चन्द्रशेखर कुमार, प्रभारी रोकड़पाल को स्थायी अग्रिम नगर परिषद के दैनिक कार्य जैसे डीजल, मोबिल, पंक्चर एवं अन्य जरूरी कार्य के लिए दिया गया था, जिसेके विरूद्ध अभिश्रव भी है।	
26	26	कार्यपालक पदाधिकारी से वार्त्तालाप	सूचनात्मक	
27	27	लेखा परीक्षा परिणाम	अनुपालन की आवश्यकता नहीं है।	
28	28	सामान्य अभ्युक्तिं	सुझावात्मक, भविष्य में ध्यान दिया जायेगा।	

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, रक्सौल